(1·6) Annexure-23(A)

(5)

Office of the Districts Collector,
District- Champawat (Uttarakhand)

No....Memo..../F.R.A.

Dated .28-02-2018

परियोजना का नाम :– चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

Proceeding of the meeting of the District level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) act (FRA), 2006

A meeting of the District Level committee of Champawat district (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held the chairmanship of Dr. Ahmad Iqubal (IAS), District Magistrate Champawat (Uttarakhand) On 28-02-2018. at .... Champawat in which the application claiming rights in ...28-02-2018........ in Champawat Tahsil. Area measuring 8.940 hec for the **Tanakpur Pithoragarh N.H. 125 (New 09) Construction of Champawat Bypass Motor Road Under Char Dham Project** of the forest FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub- Division Level committee of Champawat tahsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After Scrutiny of the Documents and Detailed discussion. No objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee reommends the above case diversion to the land for the said purpose.

(Dr. Ahmad Iqubal) (I.A.S)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Champawat.

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

प्रारुप–30 (16) (6)

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FROM-1

Government of Uttarakhand

No. Memo/FRA Office at the district collector Champawat

Date. 28-02-2018

परियोजना का नाम :– **चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।**

TO WHOWSOEYER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights)Act,2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 8.940 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of NH Lohaghat (Champawat) (name of user agency) for Tanakpur Pithoragarh N.H. 125 (New 09) Construction of Champawat Bypass Motor Road Under Char Dham Project in District Champawat. (Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of Rakadi fulara, Kafolang, Chouri, Purnetha village (s) in Champawat Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8.940 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

जिलाधिकारी
चम्पावत

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

प्रपत्र—30.2

(1.6) (7)

परियोजना का नाम :— चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चम्पावत।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण —पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चम्पावत।

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण (आरक्षित वन भूमि 1.200 हे0 सिविल सोयम भूमि 3.720 हे0, वन पंचायत भूमि 3.480 हे0) अर्थात कुल 8.380 हे0 एवं मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे0 कुल 8.940 वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चम्पावत की दिनांक 15-02-2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 कि अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सुश्री सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी चम्पावत एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— सुश्री सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी चम्पावत — अध्यक्ष
2— श्री मनोहर सिंह सेनिक, उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत — सदस्य
3— श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत — सदस्य/सचिव
4— श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र फुगर — सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि
" **जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण"** परियोजना हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी (वनधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानो को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबध में

(1.6) (2)

ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मिति से उपखण्ड टनकपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण** परियोजना के निर्माण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त कर गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील लोहाघाट
जनपद चम्पावत।

प्रतिलिपि:--जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहायक अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0
लोहाघाट

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी
समिति
तहसील...
जनपद...

तहसीलदार
चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र

हेम देवी

प्रपत्र–30 (1.6) (9)

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।**

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– राकड़ी फुलारा

तहसील– चम्पावत, जिला– चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में **टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाइपास का** निर्माण 8.940 हे0 वन भूमि का राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, लोहाघाट, चम्पावत के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम राकड़ी फुलारा द्वारा दिनांक 04-02-18 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम राकड़ी फुलारा के ग्राम वासियो को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

(संजय सिंह)
ह0/–
प्रधान
ग्राम पंचायत राकड़ी फुलारा
ग्राम प्रधान चम्पावत

नोट:– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। – **आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।** उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

दिनांक 04-02-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सकड़ी फुलारा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	जनार्दन फुलारा	Janardan
2	पुष्कर सिंह रावत	B Raut
3	प्रेमबल्लभ जोशी	प्रेमव. प्रेम जोशी
4	नारायणदत्त जोशी	[illegible]
5	रमेश चन्द्र फुलारा	R. Chandra
6	[illegible] चन्द	[illegible]
7	रवीन्द्र कुमार जोशी	रवीन्द्र कुमार जोशी
8-	मनोज कुमार जोशी	[illegible]
9-	हरीनाथ	हरीनाथ
10-	देव सिंह	देवसिंह
11-	गौरीदत्त	गौरीदत्त
12-	नारायण सिंह अधिकारी	नारायणसिंह
13	दुर्गादत्त जोशी	दुर्गादत्त
14-	प्रेम नाथ गोस्वामी	प्रेमनाथ
16-	प्रदीप बिष्ट	P. Bisht
17-	भागीरथी बिष्ट	
18.	नारायण सिंह	BM नारायण सिंह
19.	मोहन सिंह	मोहन सिंह
20.	प्रकाश सिंह	प्रकाश सिंह

(संजय सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत सकड़ी फुलारा
विकासखण्ड... जनपद चम्पावत

(1.6) (11)

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।**

दिनांक 04-02-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
21-	मदन सिंह	मदन सिंह
22-	हीरा बल्लभ पाण्डे	[signature]
23-	सुमन बोहरा	Suman
24-	आरती बोहरा	Arti
25	देव सिंह	[signature]
		[signature] (... सिंह) प्रधान ग्राम पंचायत राकड़ी फुलारा वि०ख० जनपद चम्पावत

प्रपत्र—30

(1.6) (12)

परियोजना का नाम :— **जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।**

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— शक्तिपुर

तहसील— चम्पावत, जिला— चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में **टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का** निर्माण 8.940 हे0 वन भूमि का राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, लोहाघाट, चम्पावत के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम शक्तिपुर द्वारा दिनांक 4-2-18 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लटोली, लिस्टा, शक्तिपुर, नगरगॉव के ग्राम वासियो को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत शक्तिपुरबुंगा
वि0ख0/जनपद - चम्पावत

ह0/—
ग्राम प्रधान

नोटः— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। — **आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।** उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–30.1

(1.6) (13)

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

दिनांक 6-2-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत शक्तिपुर बुंगा ग्राम, कटोली, किल्ला, नगरगांव

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1–	आनन्द बल्लभ जोशी	[signature]
2-	रमेश चन्द्र पाण्डे	रमेश चन्द्र पाण्डे
3-	गणेश दत्त जोशी	गणेश दत्त जोशी
4-	दीपक जोशी	[signature]
5-	तिलक जोशी	Tilak
6-	अमर सिंह महर	अमर सिंह
7-	नवीन चन्द्र भट्ट	नवीन
8-	प्रकाश चन्द्र कलौनी	प्रकाश चन्द
9-	हरीश चन्द्र कलौनी	H.C.Kaloni
10-	गिरीश चन्द्र जोशी	[signature]
11-	मनोज कुमार जोशी	Manoj
12-	चन्द्र शेखर जोशी	चन्द्रशेखर जोशी
13-	जीवन्ती जोशी	जीवन्ती
14-	मेत्र बल्लभ भट्ट	[signature]
15-	प्रकाश चन्द्र	[signature]
16-	हरीश चन्द्र पाण्डे	H.C.Pande
17-	मोहन चन्द्र पाण्डे	[signature]
18-	लाल सिंह	लाल सिंह
19-	गिरीश चन्द्र	गिरीश चन्द्र

पुष्पा जोशी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत शक्तिपुरबुंगा
वि०ख०/जनपद - चम्पावत

(1.6) (14)

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।**

दिनांक 4-2-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत शक्तिपुरबुंगा, जगरगांव, लधौली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1.	हेमा जोशी	हेमा जोशी
2-	रवीना देवी	रवीना देवी
3-	चन्द्र वल्लभ जोशी	[signature]
4-	कैलाश सिंह	कैलाश
5-	जगदीश राम	जगदीश
6-	बसन्ती जोशी	बसन्ती जोशी
7	भगवती देवी	भगवती देवी
8-	लता जोशी	लता जोशी
9-	जगदीश चन्द्र जोशी	[signature]
10-	राजेन्द्र कुमार जोशी	राजेन्द्र कुमार जोशी

[signature] जोशी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत शक्तिपुरबुंगा
वि०ख०/जनपद - चम्पावत

(1.6) (15)

प्रपत्र- 30

परियोजना का नाम :— चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— फुगर

तहसील— चम्पावत, जिला— चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्ताराखण्ड में टनकपुर—पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 125 के कि.मी. 121.650 से कि.मी. 129.400 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 09 नया) में चम्पावत बाईपास का निर्माण कार्य हेतु (आरक्षित वन भूमि 1.200 है0 सिविल सोयम भूमि 3.720 है0, वन पंचायत भूमि 3.480 है0) अर्थात कुल 8.380 है0 एवं मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 है0 कुल 8.920 है0 वन भूमि का राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत 5-2-2018 द्वारा दिनांक .... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम फुगर .... के ग्राम वासियो को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत-फूगरम.फी
वि०खं० - चम्पावत

ह0/—
ग्राम सचिव

ह0/—
ग्राम प्रधान

नोटः— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। — **आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।**

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र--30.1

(1.6) (16)

परियोजना का नाम :-- चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक ...फुगर 5-2-18... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1.	देव सिंह	देव सिंह
2.	महेश सिंह	महेश सिंह
3.	शीपपाल सिंह	शीप पाल
4.	मोहन सिंह	मोहन सिंह
5.	डिकर सिंह	डिकर सिंह
6.	दलीप सिंह	दलिप सिंह
7.	आन सिंह	आन सिंह
8.	रूप सिंह	रूप सिंह
9.	डूंगर सिंह	डूंगर सिंह
10.	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
11.	बहादुर सिंह	बहादुर सिंह
12.	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
13.	ललीत सिंह	ललित सिंह
14.	रामीराम	रामी राम
15.	हरीराम	[illegible]
16.	सुनील राम	सुनील राम
17.	जोगा राम	जोगा राम
18.	भुवन सिंह	भुवन सिंह
19.	खीमसिंह	खीम सिंह

प्रधान
ग्राम पंचायत-फूगरमाफी
वि०ख० - चम्पावत

प्रपत्र–30

(1·6) (17)

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।**

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– चौकी

तहसील– चम्पावत, जिला– चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में **टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का** निर्माण 8.940 है0 वन भूमि का राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, लोहाघाट, चम्पावत के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम चौकी द्वारा दिनांक 5-2-18 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौकी, ... के ग्राम वासियो को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत– चौकी
वि0ख0 व जनपद – चम्पावत
ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट:– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। – **आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।** उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

(1·6) (18)

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

दिनांक 5-2-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चौकी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1-	दीवान सिंह बोहरा	दीवानसिंह
2-	चतुर सिंह बोहरा	चतुर सिंह
3-	रवीन्द्र सिंह बोहरा	[illegible]
4-	पूरन सिंह बोहरा	पूरन सिंह
5-	पूरन सिंह बोहरा	पूरन सिंह
6-	कैलाश सिंह बोहरा	कैलाश सिंह बोहरा
7-	आनन्द नाथ राम	आनन्द नाथ राम
8-	गिरीश राम	गिरीश राम
9.	गोपाल राम	गोपाल राम
10.	नाथू राम	नाथ राम
11.	पदम सिंह पुजारी	पदम सिंह
12.	गिरीश राम	गिरीश राम
13	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
14.	प्रकाश सिंह	प्रकाश सिंह
15	ज्वाला दत्त जोशी	ज्वाला दत्त जोशी

कमला बोहरा
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चौकी
वि0खं0 व जनपद चम्पावत